

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/विंटर स्कूल/2021/ 19

दिनांक: 15 जनवरी, 2021

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाइन विंटर स्कूल कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत।
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7(4) यु.जी.सी./अकाद /आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाइन विंटर स्कूल कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क. स.	नाम (सह/सहायक आचार्य)	विषय	महाविद्यालय	कोर्स	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
01.	श्री मुकेश सांखला	ए.बी.एस.टी.	राज.बागड़ पी.जी. महा. पाली	विंटर स्कूल	19.01.2021 से 01. 02.2021 तक	इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद
02.	डॉ अनुपम चतुर्वेदी	राज.विज्ञान	राज.बागड़ पी.जी. महा. पाली	विंटर स्कूल	16.01.2021 से 29.01.2021 तक	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. बेवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।


(डॉ सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)